रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

सं. 38/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.20, 2.21 और 2.22 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/07/एएम–18/पीसी II-ख.—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.20 में उप–पैरा (घ) शामिल करते हैं तथा पैरा 2.21 और 2.22 में संशोधन करते हैं जो निम्नानुसार हैः

(I) पैरा 2.20 में उप–पैरा (घ) को शामिल करनाः

2.20: गैर–स्कोमेट मदों के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति का पुनर्वैधीकरण

(घ) प्राधिकार पत्र/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण भी विलम्ब की अवधि (अवधि जिसके लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक उसका उपयोग करने में असमर्थ रहा) या छः महीने, जो भी कम हो, के लिए कोई शुल्क लिए बिना निम्नलिखित कारणों से अनुमत होगाः

(i) यदि प्राधिकार पत्र/स्क्रिप या उसमें किसी संशोधन को निर्गम/संशोधन की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सीमाशुल्क सर्वरों पर प्रेषित नहीं किया गया हो;

(ii) यदि सीमाशुल्क विभाग द्वारा त्रुटि कोड के साथ प्राधिकार पत्र/स्क्रिप अस्वीकार किया गया हो;

(iii) यदि बांड/ईओडीसी की छूट जारी करने हेतु अनुरोध पर प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 9.10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार नहीं किया गया हो जहां पूर्ण दस्तावेज प्राधिकार पत्र वैधता के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनर्वैधीकरण विलम्ब की अवधि अथवा छः माह के लिए, जो भी कम हो, पृष्ठांकन की तारीख से अनुमत होगा। उदाहरण के लिए, प्राधिकार पत्र दिनांक 01.04.2017 को 12 माह की प्रारंभिक वैधता के साथ जारी किया गया है। इसे सीमाशुल्क के सर्वर में डीजीएफटी के सर्वर द्वारा 01.04.2017 को प्रेषित किया गया परन्तु सीमाशुल्क के सर्वर द्वारा इसे 31.10.2017 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, प्राधिकार पत्र धारक को 7 माह (अभी भी 5 माह की वैधता शेष है) का नुकसान हुआ। ऐसे मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी पृष्ठांकन की तारीख से 6 माह (5 माह की वैधता को शामिल कर लिया गया है) की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति देगा।

आवेदक अपने दावे के समर्थन में डीजीएफटी के सर्वर के साथ–साथ सीमाशुल्क के सर्वर के स्क्रीन शॉट के साथ प्राधिकार–पत्र/स्क्रिप के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनर्वैधीकरण की अनुमति देने से पहले इसका सत्यापन करेगा।

तथापि, आवेदन सीमाशुल्क के सर्वर में प्राधिकार पत्र/स्क्रिप की अंतिम स्वीकृति की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त निहित किसी बात के बावजूद पुनर्वैधीकरण के ये प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक के पास इसके उपयोग के लिए स्पष्ट रुप से छह माह उपलब्ध था।

II प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.21 में संशोधनः–

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
पुनर्वैधीकरण करने का अधिकार	
उपर्युक्त **पैरा 2.20** के अंतर्गत ऐसा पुनर्वैधीकरण संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशिष्ट आदेशों के तहत अनुमत होगा तथा ऐसा पुनर्वैधीकरण अधिकतम अभिरक्षा की अवधि तक लागू होगा।	उपर्युक्त **पैरा 2.20** के अंतर्गत ऐसा पुनर्वैधीकरण संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशिष्ट सकारण आदेशों के तहत अनुमत होगा तथा पुनर्वैधीकरण के ऐसे आदेश को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सुलभ सत्यापन हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी/जोनल कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

III प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.22 में संशोधनः–

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन	
प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण (स्कोमेट प्राधिकार पत्र को छोड़कर) के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार नीति के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करेगा। जहां विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित प्राधिकारी हैं, वहाँ मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्व सत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।	प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण (स्कोमेट प्राधिकार पत्र को छोड़कर) के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करेगा। जहां महानिदेशक विदेश व्यापार (मुख्यालय) संबंधित प्राधिकारी हैं, वहाँ मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारीयों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्व सत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार (मुख्यालय) को प्रस्तुत करनी होगी।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः पैरा 2.20 में यथा-उल्लिखित पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया को प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.21 और 2.22 में प्रावधानों के साथ संशोधित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th November, 2017

No. 38 / (2015-2020)

Subject: Amendment in Paras 2.20, 2.21 and 2.22 of the Handbook of Procedure (2015-20).

F. No. 01/93/180/07/AM-18/PC II-B.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby inserts sub-para (d) in Para 2.20 and modifies Para 2.21 and 2.22 of the Handbook of Procedure (2015-20) as under:

(I) Insertion of sub-para (d) in Para 2.20 :

2.20: Revalidation of Import / Export Licence Certificate/ Authorisation /Permissions for Non-SCOMET items

d) Revalidation of Authorisation/Duty Credit Scrip shall also be allowed without charging any fee for the period of delay (the period for which authorisation/scrip holder was unable to utilise the same) or six months, whichever is less, due to the following reasons:

(i) If Authorisation/Scrip or any amendment thereof could not be transmitted to Customs Server within fifteen working days from the date of issue/amendment;

(ii) If Authorisation/Scrip rejected by Customs server with error Code;

(iii) If request for issue of waiver of Bond/EODC was not considered within the period specified under Para 9.10 of HBP, 2015-2020 where complete application was submitted within the validity of the Authorisation.

In such cases, revalidation shall be allowed from the date of endorsement for the period of delay or six months, whichever is less. For example: Authorisation is issued having initial validity of 12 months on 01.04.2017. It was transmitted to Customs server on 01.04.2017 by DGFT server but it is accepted by Customs server on 31.10.2017. So the Authorisation holder loses 7 months (still 5 months validity is left). In such a case, RA shall allow revalidation for a period of 6 months (validity of 5 months is subsumed) from the date of endorsement.

The applicant shall submit request for endorsement of Authorisation/Scrip along with screen shot of DGFT server as well as Customs Server in support of his claim. RA shall verify the same before revalidation is allowed.

However, request must be made to RA concerned within a month from the date of final acceptance of Authorisation/Scrip in the Customs Server.

Notwithstanding anything contained above, these provisions of revalidation shall not apply wherever, the authorisation/scrip holder had clear 6 months period in hand for utilisation.

(II) ***Revision in Para 2.21 of the Handbook of Procedure (2015-20)***:

Existing Provision	**Revised Provision**
Authority to Revalidate	
Such revalidation under **Paragraph 2.20** above would be permitted under specific orders of Head of Office concerned and such revalidation would be maximum up to the extent of custody period	Such revalidation under **Paragraph 2.20** above would be permitted under specific speaking orders of Head of cconcerned Office and such order of revalidation shall be uploaded on websites of RA/ Zonal Office concerned for easy verification by Customs authorities.

(***III) Revision in Para 2.22 of the Handbook of Procedure (2015-20)***:

Existing Provision	**Revised Provision**
Application for Revalidation	
An application for revalidation of authorization (other than SCOMET Authorization~~)~~, may be made to RA concerned. RA would consider such application as per FTP. Where DGFT is concerned authority, original application shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT.	An application for revalidation of authorization (other than SCOMET Authorization~~)~~, may be made to RA concerned. RA would consider such application as per FTP/ HBP. Where DGFT (HQ) is concerned authority, original application shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT (HQ).

2. Effect of this Public Notice: Procedure for revalidation as in Para 2.20 is revised along with provisions in para 2.21 and 2.22 of the Handbook of Procedure (2015-20)**.**

ALOK V. CHATURVEDI, Director General

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.10 22:30:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.